न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 026/2024

1. हजारीराम पुत्र भेराराम कुम्हार
2. पाबुराम पुत्र भेराराम कुम्हार
3. प्रभुराम पुत्र भेराराम कुम्हार
4. गणेशाराम पुत्र भेराराम कुम्हार
5. गिरधारीराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
6. मानाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
7. ओमाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
8. उम्मेदाराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
9. हनुमानराम पुत्र रतनाराम कुम्हार
   निवासीगण कृष्णनगर, तहसील बापिणी
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. भोमसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
2. नाथुसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
3. मालमसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
4. दुर्गसिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत
5. खतुकंवर पत्नी जेठूसिंह राजपूत
6. पदमसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
7. जुगतसिह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
8. सुजानसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बलवीरसिंह राजपूत
9. प्रभुसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बलवीरसिंह राजपूत
10. सांवतसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बलवीरसिंह राजपूत
11. बाबुसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बलवीरसिंह राजपूत
12. मानसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
13. नारायणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
14. नकतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
15. सतुकंवर पुत्री चन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह राजपूत
    निवासीगण कृष्णनगर, तहसील बापिणी
    जिला जोधपुर
16. तहसीलदार बापिणी
    जिला जोधपुर

रेस्पो....

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 18 जुलाई 2023 प्रकरण संख्या 486/2020 भोमसिंह व अन्य बनाम हजारीराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बृजेश पुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री नाहरसिंह, अधिवक्ता–रेस्पो.
रेस्पो. संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 486/2020 भोमसिंह व अन्य बनाम हजारीराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. की ओर से एक प्रार्थनापत्र ग्राम श्रीकृष्णनगर स्थित आराजी खसरा संख्या 1815/5, 1815/6, 1815/7 व 1815 बाबत पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जुलाई 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को जबाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। जिससे समुचित समय में अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश बाबत कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 23 जनवरी 2024 को तहसीलदार से नोटिस प्राप्त होने पर ही अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी हुई। अतः आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी, जो अन्दर मियादशुमार की जावे। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स यह भी जाहिर किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 की परिधि में नहीं आता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 में किसी भी सीमाज्ञान का आदेश केवल भू–माप के नक्शें के अनुसार दिया जा सकता है। किन्तु वर्तमान मामले में किसी प्रकार की कोई पैमाईश का आदेश ही नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं ली गयी है, न ही कोई मौका रिपोर्ट तलब की गयी है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जावे एवं अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और जाहिर किया कि विधिवत तामील के उपरान्त भी विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स उपस्थित नहीं हुए। अतः उनकी खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादग्रस्त आराजियात के विकास एव फसलों की सुरक्षार्थ पत्थरगढी आवश्यक होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन एवं मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर समुचित तामील के उपरान्त भी उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतः विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने बाबत अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। मियाद प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण प्रकट नहीं होता है। वादग्रस्त आराजियात के विकास एव फसलों की सुरक्षार्थ पत्थरगढी आवश्यक मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण–रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित होने तथा गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जुलाई 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर